

10/5/24

पत्रावली बेश डूमि वकील वादी हाजिर नहीं है।
तामिले पूर्ण नहीं है। बार-बार आवाजे लगाई
जाने के बावजूद वकील वादी उपस्थित नहीं
हूँ। अतः प्रकरण अदम्य हाजिरी व अदम्य
पेशी में अन्तर्गत 0-9, R-3 जा.डी. के
तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली में
फैसल सुमार होकर वाद तामिल दारिखल
कफतर हो। निर्णय शुले न्यायालय में
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

